निर्माण ग्रीर ग्रावास तथा पेट्रोलियम ग्रीर रसायन मंत्री (श्रो प्रकाश चन्द सेडी): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 1978-79 के दौरान बनाएं गए और 1979-80 के दौरान बन रहे रिहायशी एककों को संख्या कमश: 10,893 और लगभग 18,300 है जिसका व्यौरा इस प्रकार है:—

टाइ्प		1978- 79 के दौरान बनाए गए एकक	निर्दाणा- घीन एकक
मध्यम ग्राय वर्ग		2504	4322
निस्न ग्राय वर्ग		3333	5467
जनता 🔪		1332	5218
सी॰ एस॰ पी॰		628	88
ग्राधिक दृष्टि से कम	जोर		
वर्ग .		3096	1180
स्व-वित्त पोषित यो	जना		1324
स्थल एवं सेवाएं		7.74	702
योग		10,893	18,301

t[THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir

(b) The Delhi Development Authority has reported that the number of awelling units constructed during 1978-79 and under construction in 1979-80 is 10,893 and about 18,300 respectively $a_{\rm g}$ detailed below:—

Type				Construc- ted during c 1978-79 ti	
M.I.G.			٠.	2504	4322
L.I.G.				3333	5467
Janata				1332	5218
C.S.P.				628	88
E.W.S.				3096	1180
Self financing Scheme					1324
Sites & S	Servi	ces			702
Total				10,893	18,301

ग्रामीण विकास के लिए योजना

91. श्री कलराज मिश्र श्री हरिशंकर भाभड़ा :

क्या **ग्रामीण पुनर्तिर्माण** मंत्री यह बताने की क्रपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के लिए कोई विशेष नई योजना तैयार को गई है; श्रीर
- (ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्य है ?

t [Scheme for rural development

91. SHRI KALRAJ MISHRA; SHRI HARI SHANKAR BHABHRA:

Will the Minister of RURAL RE-CONSTRUCTION be pleased t_0 state:

t[] English translation.

Written Answers

119

(b) if so, what are the details thereof?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी द्यार० वी० स्वामीनायन): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के बारे में नोट सन्तर्गत लाया गया क्षेत्र

वर्ष 1978-79 के दौरान, लघु किसान विकास एजेंसी, सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों में 2000 खण्डों में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम नामक एक नयी योजना शुरू की गई थी। देश के गैर-विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों में समन्दित ग्राम विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में रोजगार के लिए क्षेत्र ग्रायोजना की योजना के श्रन्तर्गत 300 ग्रन्य खप्ड शुरू किए गए ये।

उहें इय तथा लाभभोरियों के लक्षित बगं

कार्यक्रम केवल गरीब ग्रामीणों के लाम के लिए बनाया गया है। समन्वित प्राम विकास कार्यक्रम के धन्तर्गत सहायता के लिए पांत लक्षित वर्गों में लघ तथा सीमान्त किसान, बटाईदार, कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर ग्रीर ग्रनुस्चित जातियों तथा अनसुचित जनजातियों के लोग शामिल हैं। इस परिवारों को सरकारी उपदानों तथा बैंक ऋणों द्वारी सहायता व्यक्तिगत लाभभोगी उन्मुख योजनाओं के माध्यम से गरीबी की रेखा सें ऊपर उठाया जाएगा। इस उद्देश्य को लघु किसान विकास एजेंसी, सुखागस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास से विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों में

2000 खण्डों में विकास प्रयासों को तेज करके प्राप्त किया जाना है तथा इसे चाल् योजना ग्रवधि के दौरान 300 खण्ड प्रति वर्ष की दर से रोजगार हेतु क्षेत्र आयोजना के अन्तर्गत चुने खण्डांमें भी प्राति किया जाएगा ताकि जनता के गरीब से गरीब वगौं के रहन-सहन के स्तरों में उल्लेखनीय सुधार किया जा सके । कार्यक्रम की विषय-वस्तु मुख्य रूप से यह है--कृषि, जिसमें बागवानी भी शामिल है, का विकास तया सवनता, पशुपालन तथा डेरी, मुर्गी-पॉलन, सुअरपॉलन, मछलीपॉलन, कोश-कीटप, लन, फार्म तथा सामाजिक वानि की, लघु सिचाई तथा भूमि विकास, भूमि तथा जल संरक्षण, कृषि पर ब्राधारित एवं वन पर ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना और ग्रामीण कारीगरों के लिए अर्थपूर्ण कार्यक्रम शुरू करना तथा स्वरोजगार की योजनाम्रों के लिए प्रोत्साहन ।

to Questions

उपवान

छटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत तथा सामान्त विसानों ग्रीए वृषि श्रमिकों के लिए 35% प्रतिशत की सीमा तक उपदान के रूप में सहायता सूलभ की जाती है जिसकी उच्चतम सीमा लघ विसान विवास एजेंसी तथा कमाण्ड क्षेत्र विवास में समन्वित ग्राम विकास के श्रन्तर्यंत 3000 रुपए है ग्रीर सुखाग्रस्त क्षेत्र वाय-क्रम में समन्वित ग्राम विकास के अन्तर्गत 4000 इपए हैं। अनुसूचित जनजातियों के मामले में, उपदान 50 प्रतिशत की दर छे दिया जाता है जिसकी सीमा 5000 रूपए

मागंदर्शक सिद्धान्त

केन्द्रीय सरकार ने समन्वित काण विकास कार्यक्रम के बारे में विस्तृत मार्ग-दशंक सिद्धान्त जारी विये हैं। इन मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों से मोटे तौर पर समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के ग्रन्तगत व्यक्तिगत

नाममोगो के लिए कार्यक्रम को विषय-वस्तु धौर उपदानों की दर का पता चलता है। केन्द्रोय सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य मागं-दर्शन के अनुसार सम्बन्धित राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा सम्पूर्ण कार्यक्रम को आयोजना, समन्वय और कार्य-व्यन किया जाता है। केन्द्रोय स्तर पर कार्यक्रम सम्बन्धो समग्र मागं-दर्शन, केन्द्रोय निधिगों का आवंटन, समग्र समन्वय तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम का अवोधन किया जाता है।

समन्वय

समन्वित ग्राम विकास कार्यंकम का बहुतर समन्वय, ग्रायोजना तथा तोज गित से कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों /केन्द्रणासित क्षेत्रों को सलाह दो गई है कि विशेष कार्यंकम ग्रीर समन्वित ग्राम विकास को कार्योन्वित कर रहे विमागों को एक हो प्राधिकरण/विभाग के अन्तगंत रखा जाए । राज्यों/केन्द्रणासित क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वें समन्वित ग्राम विकास कार्यंकम को आयोजना ग्रीर कार्यान्वयन के लिए उन क्षेत्रों में जिला एजेंसियां गठित करें जहां ऐसी एजेंसियां मौजूद नहीं हैं । खण्ड-स्तरोय ग्रायोजना के लिए विस्तृत मार्ग-दर्गंक सिद्धान्त भी जारो कर बिए गए हैं।

राज्यस्तरोय सनन्वय सन्ति को भूमिका

इस कार्यंक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी समन्वय और नेतृत्व सुलभ करने में हेतु प्रत्येक राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित को गई है, जिसको ग्रध्यक्षता ग्राम-वौर पर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादनग्रायुक्त/ विकासयुक्त करते हैं । कृषि, पगु-पालन, सिचाई, सहकारिता, वन, मत्स्यपालन, वित्त, उद्योग, योजना विभागों के विभागा- ध्यक्षों तथा प्रामीण जल-श्रापूर्ति, प्राम स्वास्थ्य, समाज कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा पोषाहार कार्यंक्रमों को कार्यान्वित कर रहे वरिष्ठ ग्रधिकारियों ग्रौर सहकारी सोसायटियों तथा वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में सहयो-जित किया जाता है । बैंकिंग संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार के ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि भी राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के सदस्य हैं।

वित्तीय सहायता का प्रतिनान

ा 1978-79 के दौरान, लघु किसान विकास एजेंसो तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास क्षेत्रों में प्रत्येक समन्वित ग्राम विकास खण्ड के लिए 5 लाख रुपए का परिचयय निर्धारित किया गया या तथा इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त दिया गया था । सुखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में प्रत्येक समन्वित ग्राम विकास खण्ड के लिए केन्द्र द्वारा 4 लाख रुपए की धनराशि अनदान के रूप में दो गई थी तथा राज्य सरकार को सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों में प्रत्येक समन्वित ग्राम विकास खण्ड हेत् 1 लाख रुपये का ग्रंगदान करना था। 1978-79 के दौरान गैर-विशेष योजना क्षेत्रों में चुने 300 खण्डों के मामले में, इस कार्यक्रम के लिए 2 लाख रुपए की धनराणि सुलभ की गई यो और आधार स्तरीय सर्वेक्षण की लागत का 50 प्रतिशत ग्रथीत 30.000 रुपए इसी वर्षं सुलभ किये गये थे।

उपलब्धियां

यद्यपि यह कार्यक्रम का पहला वर्ष था, फ़िर भी, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,110,664 परिवारों का चयन किया

गया भ्रौर 6,24,288 परिवारों को वास्त-विक रूप में सहायता पहुचाई गई थी। इन परिवारों को सहायता पहचाने के लिए 32.67 करोड रुपए को धनराशि उपदान के रूप में उपयोग में लाई गई थी तथा 54.60 करोड़ रुपए की धनराणि बैंक ऋक के माध्यम से जटाई गई थी।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) Details are given in the enclosed statement.

Statement

Note on the Integrated Rural Development Programme

Areas covered

During 1978-79, a new scheme known as Integrated Rural Development Programme (IRDP) was launched in 2000 blocks in the Special Programme Areas of SFDA, DPAP and CAD. Another 300 blocks were also taken up under the scheme; Area Planning for Employment as a part of IRDP in the nonspecial programme areas of the country.

Objectives and target group of beneficiaries

The programme is intended exclusively for the benefit of the rural poor. The target groups eligible for assistance under the IRD programme, consist_s of small and marginal farmers, share croppers, agricultural labourers, rural artisans and persons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes. These families will be raised above the poverty line through individual—beneficiary oriented scheme, financed by government

f[] English translation.

subsidies and bank loans. Thia objective is to be achieved by intensifying development efforts in 2000 blockg in the special programme area* like the SFDA, DPAP and CAD and also in blocks selected under area planning for employment at the rate of 300 blocks per year during the current plan period, in order to bring about a marke[^] improvement in the living conditions of the poorer section of the population. The programme: contents mainly are development and intensification of agriculture including horticulture, animal husbandry and dairy, poultry, piggery, fisheries, sericulture, farm and social forestry, minor irrigation and land development, soil and water conservation, setting up of agro-based forest based and village and cottage industries and taking up meaningful programme for rural artisans and encouraging of self employment schemes.

Subsidy

Assistance in the form of subsidy is provided to the extent of 25 per cent to small farmers and 33-1J3 per cent to marginal farmers and agricultural labourers subject to a ceiling of Rs. 3000|under IRD in SFDA and CAD and Rs. 4000/under IRD in I DPAP In the case of scheduled tribes, subsidy is given at the rate of 50 per cent subject to a limit of Rs. 5000|-.

Guidelines

The Central Government has issued detailed guidelines on iRrj, programme. These guidelines indicate broadly the programme contents and rate of subsidies for the individual beneficiary under the IRD programme. The planning, coordination and execution of the whole programme is done by the respective States|UTs in accordance with the general guidance issued by the Central Government. The overall programme guidance, allocation of Central funds, overall coordination and monitoring of the whole programme is done at the Central level.

Coordination

125

In order to achieve better coordination planning and speedy execution of the IRD programme, the State Governments|Union Territories have been advised to bring the departments implementing the special programme and IRD under one single Authority I Department. The States | UT_S have also been requested to set up District Agencies for planning and implementation of the IRD programme in areas where such agencies do not exist. Detailed guidelines for Block-Level Planning have also been issued.

Role of State Level Coordination Committee (SLOC)

A High Power Committee at the State level has been constituted in each State i UT, normally headed by the Chief Secretary Agricultural Production Commissioner I Development Commissioner, for providing effective coordination and leadership in the implementation of this programme. The Heads of Departments of Agriculture, animal husbandry, irrigation, cooperation, forests, fisheries, finance, industries, planning, senior officers implementing programmes of rural water supply, rural health, family welfare, adult education, nutrition and representatives of Cooperatives and Commercial Banks are coopted as members. The representatives of the banking institutions, the Ministry of Rural Reconstruction and the Ministry of Industry of the Union Government are also members of the SLCCs

Pattern of financial assistance:-

During 1978-79, the outlay for each IRD block in SFDA and CAD areas wa_s fixed at Rs. 5 lakhs and the programme wa_s fully financed by the Central Government. For each IRD block in DPAP areas, an amount of Rs. 4 lakh_s was given by th_e Centre

as grant and the State Government was to contribute Rs. 1 lakh for each IRD block in DPAP areas. In case of 300 blocks selected in non-special programme areas during 1978-79, a sum of Rs. 2 lakh₃ was provided for the programme and 50 per cent of the cost of th_e base line survey i.e. Rs. 30,000 wa_s provided during the year.

Achievements

Though this was the first year of the programme, 2,110,664 families were identified under thi_s programme and 6,24,288 familie_s were actually assisted. An amount of Rs. 32.67 crores wa_s utilised by way of subsidy and an amount of Rs. 54.60 crore_s was mobilised by way of bank credit for assisting these families.]

Opening of schools in Pitampura and Shalimar Bagh, Delhi

92. SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: SHRI DINESH GOSWAMI; DR. V. P. DUTT;

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

- (a) the number of schools so far opened in newly developed colonies of DDA such as Pitampura and Shali mar Bagh;
- (b) whether the sites have been allotted and school buildings have been constructed; and
- (c) if the reply to part (b) above be in the negative what are the reasons for the delay and by when the school-Cing facilities shall be provided there for the

benefit of children of these localitiesf

THE MINISTER OF EDUCATION, HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKRANAND); (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha ag soon as possible.